2020/00058

बोशो स्टेशनर्स, मांडलगढ़ 230289

8.10.20
27.1.21
4.2.21
13.4.22
11.10.22

दायर

राजस्थान सरकार

ता. पेको स्टेज

(कायदा — 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला क्रमांक 5
88-188	5/2020	27.2.20	13/2/24	1, 3, 4 exparty 5 ... 4.2.2 25.2.21 2/9/2021 1.6.22 ~~29.9.22~~

अनवान

श्री गोपाललाल s/o किशना मीणा श्री शंकरलाल s/o किशनलाल मीणा

निवासी गोविन्दपुरा निवासी ... वार्ड 5

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

जगदीश चन्द्र धाकड़

डिक्रीदार रेस्पाडेन्ट / मदयूनाल

श्री .... श्री ....

नम्बर 5/2020 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.02.2020	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 26/03/2020 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
26.3.20	पत्रावली पेश हुई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के सर्कुलर दि. 18.3.20 की पालना में कार्य स्थगित रखा गया। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब पेश हो दिनांक 22.4.20 को।	
22.4.20	... के कारण राष्ट्रव्यापी ... अजमेर से प्राप्त ... न्यायिक कार्य स्थगित ... वास्ते तलबी/जवाब ...दिनांक 3.6.20 को प... उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ	
3.6.20	... के कारण राष्ट्रव्यापी ... अजमेर से प्राप्त ... कार्य स्थगित ... तलबी/जवाब ...दिनांक 18.6.20 को प... उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ	
18.6.20	को... के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने ... अजमेर से प्राप्त ... कार्य स्थगित ... तलबी/जवाब ...दिनांक 15.7.20 को प... उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ	
15.7.20	कोरो... के कारण राष्ट्रव्यापी लॉ... होने ... मण्डल, अजमेर से प्राप्त ... कार्य स्थगित ... तलबी/जवाब 6.8.20 उपखण्ड अधिकारी ...	

6 8/20 कोरोना ... संक्रमण के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने व ... मण्डल, अजमेर से प्राप्त नि... लॉकडाउन ... स्थगित ... कारण प... को पत्रा... तलबी 27.8.20 जवाब

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ

27 8/20 पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 7.9.20 को वास्ते तलबी जवाब पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

17 9/20 पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण सं. 1,3,4,5 की बाद तामिल पूर्व में प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। शेष प्रतिवादीगण की तामील हेतु पुनः समन्न प्रोसेस प्रस्तुत करें। पत्रावली वास्ते तलबी दि. 8.10.20 को पेश हो।

8 10/20 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते तलबी दि. 5.11.20 को पेश हो।

5 11/20 पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक ... उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है ... चुनाव में व्यस्त दिनांक 3.12.20 को वास्ते तलबी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

3 12/20 पत्रावली ... हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। चुनाव में व्यस्त प्रात्रावली दिनांक 31.12.20 को वास्ते तलबी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

31 12/20 पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उप.। प्रतिवादीगण स.1,3,4 की पूर्व में तामील हो चुकी है प्रतिवादीगण स. 1,3,4 गैर हाजिर है अतः इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए जाते है। एवं प्रतिवादीगण स. 5 का जवाब पेश किया जाता है। वकीलवादी शेष प्रतिवादीगण स. 2 की पुनः समन्न प्रोसेस प्रस्तुत करें। पत्रावली वास्ते तलबी दि. 27.1.21 को पेश हो।

ता.कि.

किस्म मुकदमा ______________ नं. ______________ वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उप.। अधिवक्ता गिरधारी लाल आचार्य ने प्रतिवादी सं. 4,2,3 की ओर से अधिकार पत्र पेश किया पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रतिवादी सं. 3,4 के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश हो रखा है। अधिवक्ता ने दो तरफा कार्यवाही कराने हेतु अगली पेशी पर आवेदन करने का निवेदन किया प्रतिवादी नं. 2 को जवाब पेश करने हेतु अगली पेशी दी। पत्रावली वास्ते दो तरफा कार्यवाही का प्रार्थना-पत्र/जवाब दि. 4.2.21 को पेश हो।	
4/2/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक उभयपक्ष उप.। पत्रावली वास्ते दो तरफा कार्यवाही का प्रार्थना पत्र/जवाब दि. 25.2.21 को पेश हो।	
25/2/21	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 18.3.21 को वास्ते प्रा. प./जवाब पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
18/3/21	पत्रावली पेश हुइ। ... उपस्थित ... दिनांक 15.4.21 ... प्रा. प./जवाब ... उपखण्ड अधिकारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
15/4/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 20.5.21 को वास्ते प्रा.प./जवाब पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
20/5/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी राजकीय अवकाश उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 1.7.21 को वास्ते प्रा.प./जवाब पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
1/7/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 5.8.21 को वास्ते प्रा.प./जवाब पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
5/8/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 17.8.21 को वास्ते प्रा.प./जवाब पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
17/08/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते दो तरफा कार्यवाही का प्रार्थना पत्र/जवाब 02/09/2021 को पेश हो।
2/9/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/[redacted] उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। [redacted] दिनांक 28.10.21 को वास्ते प्रा.प./जवाब पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
20/10/21	प्रत्रावली प्रशासन गाँवो के संग अभियान-2021 में पेश हुई पक्षकार वादी/प्रतिवादी हाजिर/गैर हाजिर पक्षकारों में सहमति नहीं बनने से राजीनामा नहीं हो सका। पत्रावली दि. 16.12.21 को वास्ते जवाब पेश हुई। (उपखण्ड अधिकारी) बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)
16/12/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 13/1/22 को वास्ते जवाब पेश हो। उप खण्ड अधिकारी

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/1/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 16/3/22 को वास्ते जवाब पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
16/3/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उपस्थित। उप. प्रतिवादी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता नितिन सारस्वत ने No Instruction किया और पैरवी नहीं करना चाहते हैं। अतः प्रतिवादी सं. 2 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दि. 1.6.22 को पेश हो।	प्रति. नं. 2 की ओर से No Instruction नितिन सारस्वत
1/6/22	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित। साक्ष्यवादी में PW-1 गोपाल लाल, PW-2 बाबूलाल, PW-3 प्रभुलाल के बयान लिए गए जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दि. 29.6.2022 को पेश हो। पुनश्च: वकीलवादी ने दस्तावेज रजिस्ट्री पेश की जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दि. 29.6.22 को पेश हो।	[illegible]
29/6/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 6.7.22 को वास्ते साक्ष्यवादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

	हुक्म
05.07.22	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 27.07.22 को वास्ते साक्ष्यवादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
27/7/22	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 10/8/22 को वास्ते सा. वादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
10/8/22	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 31/8/22 को वास्ते सा. वादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
31/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दि. ~~2.9.22~~ 13.9.22 को पेश हो।
13/9/22	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 27/9/22 को वास्ते सा. वादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
27/9/22	पत्रावली पेश हुई वकीलवादी उपस्थित। साक्ष्य वादी मे अवसर चाहते है जो अंतिम अवसर दिया जाता है पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दि. 11.10.22 को पेश हो।
11.10.22	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 6.12.22 को वास्ते सा. वादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
6.12.22	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 17.1.23 को वास्ते सा. वादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी

फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलिया

गोपाल बनाम शंकरलाल

किस्म मुकदमा 88–188 नं. 5/20 वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/1/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 21.2.23 को वास्ते [illegible] पेश हो। gaur उप खण्ड अधिकारी	
21/2/23	पत्रावली पेंश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा दौरे पर है। प्रात्राबली दिनांक 14/3/23 का वास्ते [illegible] पेश हो। gaur उप खण्ड अधिकारी	
14/3/23	पत्रावली पेंश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्री[illegible] सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 18/4/23 का वास्ते [illegible] पेश हो। gaur उप खण्ड अधिकारी	
18/4/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 23/5/23 को वास्ते [illegible] पेश हो। gaur उप खण्ड अधिकारी	
23/5/23	पत्रावली पेंश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 13/6/23 को वास्ते [illegible] पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13/6/23	पत्रावली पेंश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 11/7/23 को वास्ते [illegible] पेश हो। 11/7/23 उप खण्ड अधिकारी
11/7/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित वादी के बयान लिए गए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते निर्णय/[illegible] दिनांक 18/7/23 को पेश हो।
18/7/23	पत्रावली पेंश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 2/2/23 को वास्ते निर्णय पेश हो। उपखण्ड अधिकारी
12/12/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 9/1/24 को वास्ते निर्णय पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
9/1/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 6/2/24 को वास्ते निर्णय पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
6/2/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 13/2/24 को पेश हो। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली दिनांक 13/2/24 वास्ते निर्णय पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया एवं निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री बन्शी धर योगी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 05 / 2020 दायर दिनांक 27.02.2020

अनवान

गोपाल लाल पिता किशना जाति मीणा उम्र बालिग निवासी गोविन्दपुरा तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा।

........वादी

बनाम

1. शंकर लाल पिता किशनलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बडोदिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. कजोडी पिता किशन पत्नि हीरालाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बडोदिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा हाल मुकाम ग्राम धावड़ा, कुडी पोस्ट धामणचा तह0 बेंगू जिला चित्तौडगढ (राज0)।
3. देवालाल पिता किशन जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बडोदिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
4. वर्मादेवी पत्नि देवालाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बडोदिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
5. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजोलिया जिला भीलवाड़ा।

.........प्रतिवादीगण

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उपस्थित :– 1. श्री जगदीशचन्द्र धाकड़ – अधिवक्ता वादी

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88–188–रा0टि0एक्ट

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक :– 13 / 02 / 2024

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता श्री जगदीशचन्द्र धाकड़ द्वारा उक्त वादपत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बडोदिया प0ह0 जलीन्द्री स्थित आराजी नम्बर 357 रकबा 9 बिस्वां गे.मु. आचा आराजी नम्बर 358 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वां, आराजी नम्बर 359 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वां भूमि के अलावा अन्य आराजीयात का तत्कालीन खातेदार श्री किशन पिता भोलू मीणा ने अपनी निजी घरेलु जरूरत में रकम की आवश्यकता होने से उपरोक्त वर्णित आराजीयात में से आराजी नम्बर 358 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वां सम्पूर्ण, आराजी नम्बर 359 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वां में से रकबा 6 बिस्वां आराजी किता 2 रकबा कुल 2 बीघा एवं आराजी नम्बर 357 रकबा 9 बिस्वां आ.चा. में से 1/7 हिस्सा वादी को प्रतिफल धनराशि 20,000/– रूपये अक्षरे बीस हजार रूपये में विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया एवं विक्रय पत्र का निष्पादन दिनांक 08.12.2001 को कर पंजीयन दिनांक 29.12.2001 करा दिया। तब से वादी उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज हो काश्त एवं उपयोग उपभोग करता आ रहा हैं। प्रतिवादी का विक्रय के बाद से ही उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध व वास्ता नही रहा हैं। राजस्व रेकॉर्ड में खातेदार किशन पिता भोलु मीणा की मृत्यु उपरान्त नामान्तरकरण दिनांक 09.01.2007 को प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 के नाम दर्ज रेकॉर्ड किया गया एवं वादी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर यह समझता रहा कि आराजीयात वादी के नाम नियमित रूप से रेकॉर्ड की जा चुकी है। क्योकि कब्जा वादी का था इस कारण कोई विवाद ही उत्पन्न नही हुआ और राजस्व रेकॉर्ड देखने की आवश्यकता ही नही हुई। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 के नाम उक्त आराजी दर्ज रेकॉर्ड चली आ रही थी प्रतिवादी नम्बर 5 ने वादी के विक्रय पत्र का अंकन वादी के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नही किया एवं प्रतिवादी नम्बर 3 देवा पिता किशना मीणा ने अपना 1/3 हिस्सा जरिये विक्रय पत्र द्वारा अपनी पत्नि प्रतिवादी नम्बर 4 के नाम विक्रय

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कर दिया। जिसका नामान्तरकरण संख्या 709 दिनांक 05.02.2018 द्वारा राजस्व रेकॉर्ड में अपने नाम दर्ज रेकॉर्ड करवा लिया। इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात जो वादी की खरीद शुदा है। जिसको प्रतिवादी नम्बर 3 द्वारा 1/3 हिस्से को पश्चातवर्ती विक्रय पत्र द्वारा स्वयं की पत्नि प्रतिवादी नम्बर 4 के नाम विक्रय पत्र द्वारा दर्ज रेकॉर्ड करा दी जो वर्तमान में राजस्व रेकॉर्ड में प्रतिवादी नम्बर 1, 2 व 4 के नाम चली आ रही है और कब्जा वादी का यथावत चला आ रहा हैं।

वादी अनुतोष चाहता हैं कि मौजा बडोदिया प0ह0 जलीन्द्री स्थित वादग्रस्त आराजी नम्बर 358 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वां सम्पूर्ण, आराजी नम्बर 359 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वां में से रकबा 6 बिस्वां आराजी किता 2 रकबा कुल 2 बीघा एवं आराजी नम्बर 357 रकबा 9 बिस्वां गेमु आ.चा. में से 1/7 हिस्से की भूमि वादी की खातेदारी की आराजीयात है एवं प्रतिवादी नम्बर 1, 2 व 4 के स्थान पर उक्त आराजी वादी के नाम बतौर खातेदार दर्ज रेकॉर्ड की जावें। एवं इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावें कि प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त आराजीयात का विक्रय हस्तांतरण किसी अन्य को नही करें एवं वादी के कब्जे उपयोग उपभोग में दखल नही करें वादी को बेदखल नही करे तथा शान्ति पूर्वक काश्त करने देवें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गयी।

प्रतिवादीगण वावजूद इत्तिला गैर हाजिर रहने से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने मौजा बड़ौदिया प0ह0 जलीन्द्री की जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 पेश की हैं जो प्रदर्श–1 हैं, जमाबन्दी संवत् 2059 से 2062 पेश की हैं जो प्रदर्श–2 हैं, जमाबन्दी संवत् 2063 से 2066 पेश की हैं जो प्रदर्श–3 हैं, जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 पेश की हैं जो प्रदर्श–4 हैं, जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 पेश की हैं जो प्रदर्श–5 हैं, दिनांक 01.06.2022 को विक्रय लेखपत्र पेश किया जो प्रदर्श–6 हैं।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

वादीगण ने अपनी साक्ष्यवादी में पी.डब्ल्यू–1 गोपाललाल पिता किशना मीणा नि0 गोविन्दपुरा, पी. डब्ल्यू–2 बाबूलाल पिता गोपाल मीणा नि0 गोविन्दपुरा व पी.डब्ल्यू – 3 प्रभुलाल पिता कल्याण मीणा नि0 बड़ौदिया के बयान कराये गये जो शामिल पत्रावली हैं।

विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। साक्ष्य व प्रस्तुत दस्तावेजात, राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

बहस में अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि वादीगण को वादपत्र में चाहा गया अनुतोष दिलाया जाकर मौजा बडोदिया प0ह0 जलीन्द्री स्थित वादग्रस्त आराजी नम्बर 358 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वां सम्पूर्ण, आराजी नम्बर 359 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वां में से रकबा 6 बिस्वां आराजी किता 2 रकबा कुल 2 बीघा एवं आराजी नम्बर 357 रकबा 9 बिस्वां गेमु आ.चा. में से 1/7 हिस्से की भूमि वादी की खातेदारी की आराजीयात है एवं प्रतिवादी नम्बर 1, 2 व 4 के स्थान पर उक्त आराजी वादी के नाम बतौर खातेदार दर्ज रेकॉर्ड की जावें। एवं इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावें कि प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त आराजीयात का विक्रय हस्तांतरण किसी अन्य को नही करें एवं वादी के कब्जे उपयोग उपभोग में दखल नही करना चाहा।

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

प्रस्तुत वादपत्र पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यवादी, के आधार पर वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य हैं।

–: आदेश :–

अतः प्रस्तुत वादपत्र वादी अर्न्तगत धारा **88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर मौजा ग्राम बडोदिया प0ह0 जलीन्द्री स्थित वादग्रस्त आराजी नम्बर 358 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वां सम्पूर्ण, आराजी नम्बर 359 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वां में से रकबा 6 बिस्वां भूमि आराजी किता 2 रकबा कुल 2 बीघा एवं आराजी नम्बर 357 रकबा 9 बिस्वां गेमु आ.चा. में से 1/7 हिस्से की भूमि वादी की खातेदारी की आराजीयात हैं एवं प्रतिवादी नम्बर 1, 2 व 4 के स्थान पर उक्त आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। एवं प्रतिवादी नम्बर 1, 2 व 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वादीगण के हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण दखलनदाजी नही करें। न अन्य किसी से करायेगें, रोक टोक नही करें, जबरन बेदखल नही करें, उक्त भूमि को रहन विक्रय नही करें। डिक्री मूर्तिब की जावें।

आदेश आज दिनांक 13/02/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

(बन्शी धर योगी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास – श्री बन्शी धर योगी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 05/2020 दायर दिनांक 27.02.2020

अनवान

गोपाल लाल पिता किशना जाति मीणा उम्र बालिग निवासी गोविन्दपुरा तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा। ....वादी

बनाम

1. शंकर लाल पिता किशनलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बडोदिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. कजौडी पिता किशन पत्नि हीरालाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बडोदिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा हाल मुकाम ग्राम धावड़ा, कुडी पोस्ट धामणचा तह0 बेंगू जिला चित्तौडगढ (राज0)।
3. देवालाल पिता किशन जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बडोदिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
4. वर्मादेवी पत्नि देवालाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बडोदिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
5. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजोलिया जिला भीलवाड़ा।

.........प्रतिवादीगण

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188–रा0टि0एक्ट

निर्णय दिनांक : 13/02/2024

डिक्री दिनांक : 13/02/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ बहाजरी वादी अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती हैं कि वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 में वादी की मौजा ग्राम बड़ोदिया प0ह0 जलीन्द्री स्थित वादग्रस्त आराजी नम्बर 358 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वां सम्पूर्ण, आराजी नम्बर 359 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वां में से रकबा 6 बिस्वां भूमि आराजी किता 2 रकबा कुल 2 बीघा एवं आराजी नम्बर 357 रकबा 9 बिस्वां गेमु आ.चा. में से 1/7 हिस्से की भूमि वादी की खातेदारी की आराजीयात हैं एवं प्रतिवादी नम्बर 1, 2 व 4 के स्थान पर उक्त आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं एवं प्रतिवादी नम्बर 1, 2 व 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वादीगण के हिस्से की भूमि में प्रतिवादी नम्बर 1, 2 व 4 दखलनदाजी नही करें। न अन्य किसी से करायेगें, रोक टोक नही करें, जबरन बेदखल नही करें, उक्त भूमि को रहन विक्रय नही करें। डिक्री मूर्तिब हो।

नीज ....Nil...............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 02 वर्ष 2024 को जारी किया गया।

(बन्शी धर योगी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

मुद	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

(बन्शी धर योगी)
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)